दिल्ली विधान सभा सचिवलय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार 7 जनवरी, 2002 / पौष 17, 1923 (शक)

संख्या: 182

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना आनन्द विहार, पूर्वी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री नसीब सिंह,चौ मतीन अहमद, अरविन्दर सिंह लवली एवं वीर सिंह को दिनांक 6 /1/ 2002 को अपराहन 05.00 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत सूरजमल पार्क विहार से नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 06/01/2002 को अपराहन 05.25 बजे पुलिस थाना, आनन्द विहार से रिहा कर दिया गया।"

एस.के.शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Monday, 7th January, 2002/ Pausha 17, 1923(saka)

No. 182

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Anand Vihar, Police Station, East District, Delhi:-

"I have the honour to inform you that S/Shri Naseeb Singh, Ch. Mateen Ahmad, Arvinder Singh Lovely and Veer Singh, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Surjmal Park Vihar U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 17.00 P.M. on 6.1.2002.

They were released at 17.25 P.M from Police Station Anand Vihar on the same day i.e. 6.1.2002."

S.K.SHAMRA SECRETARY